कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांक : 268 to 270 दिनांक : 20/1/26

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर उदयपुर में स्थित न्यायालय भवनों के नवीनीकरण/मरम्मत के दौरान निकले हुए निष्प्रयोज्य स्क्रेप, खिड़की, दरवाजे, रेलिंग, एंगल इत्यादि **"जहां है जैसा है"** के आधार पर न्यायालय परिसर में दिनांक 04 फरवरी 2026 को दोपहर 01.00 बजे खुली बोली द्वारा नीलाम की जाएगी, जिसकी अमानत राशि रू. 1,500/– रखी गई है। नीलामी शर्ते कार्यालय में अथवा विभाग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/udaipur पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष 20/1/26
अनुपयोगी सामग्री निस्तारण समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर

क्रमांक : स्टोर/2026/270 दिनांक : 20/1/26

प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्पादक, उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष 20/1/26
अनुपयोगी सामग्री निस्तारण समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर

नीलामी शर्ते :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी शुरू होने से पूर्व अमानत राशि रूपये 1,500/– नकद जमा करना अनिवार्य होगा।
2. नीलामी निर्धारित दिनांक व समय पर न्यायालय परिसर में होगी।
3. नीलामी उच्चतम बोली दाता के पक्ष में की जाएगी। सफल बोली दाता को बोली राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी तथा शेष राशि तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. समस्त राशि जमा होने के पश्चात ही नीलाम सामग्री सुपुर्द की जाएगी।
5. सफल बोली दाता द्वारा नीलाम सामग्री की सुपुर्दगी सात दिवस में नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो उसकी जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. सफल बोली दाता को नीलाम सामग्री के वजन एवं परिवहन से संबंधित समस्त खर्च एवं नियमानुसार जीएसटी सहित समस्त देय करों का भुगतान स्वयं को करना होगा।
7. इच्छुक बोली दाता नीलामी योग्य सामग्री का निरीक्षण न्यायालय परिसर में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में कर सकते है।
8. नीलामी के संबंध में सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास रहेगें।

अध्यक्ष 20/1/26
अनुपयोगी सामग्री निस्तारण समिति